**FORM NO – 111**

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

**अज अदालत न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही**

| **प्रार्थी/परिवादी** | **बनाम** | **प्रतिवादी/अभियुक्त** |
|---|---|---|
| श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधि. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. सिरोही | | मोहनलाल विश्नोई पुत्र थाकाराम विश्नोई, जाति–विश्नोई, निवासी– सारी का ढाणी, मांडावास, पो. रोहट, जिला–पाली (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक) |
| | फर्मः | गुरुकृपा दूध डेयरी, मनादर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही |

**किस्म मुकदमा - धारा 26(2)(ii) एवं 51**
**खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006** **प्रकरण संख्याः 20/2021**

| तारिख हुक्म | **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए |
|---|---|---|
| 02.3.2021 | श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं 51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त मोहनलाल विश्नोई के विरुद्ध दिनांक 02.3.2021 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा जिलें में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णय आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जावे।<br>प्रकरण में आज दिनांक 02.3.2021 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी मोहनलाल विश्नोई पुत्र थाकाराम विश्नोई, जाति– विश्नोई, निवासी– सारी की ढाणी, मांडावास, पो. रोहट, जिला– पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म गुरुकृपा दूध डेयरी, मनादर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही उपस्थित हुये। प्रतिवादी मोहनलाल विश्नोई को नोटिस एवं आरोप पढ़कर सुनाया गया एवं न्याय निर्णय आवेदन पत्र की एक प्रति दिलवाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी मोहनलाल विश्नोई ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 02.11.2020 को दूध का नमूना जांच के लिये लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार [illegible] पाया [illegible] गांव के पशुपालकों से दूध बिक्री के लिये [illegible] हूं [illegible] उसी को बेचता हूँ। मैनें दूध [illegible] और से कुछ नहीं मिलाया था। भविष्य में पशुपालकों से दूध की जांच करके दूध [illegible] .......लगातार | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:52 IST
Reason: SelfAttested

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>F.S.S.Act Case No.20/2021 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए |
|---|---|---|

खरीदूंगा व बिक्री करुंगा। इस मामलें में मैं मेरी गलती स्वीकार करता हूँ। भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नही करुंगा। अतः मुझे इस प्रकरण से मुक्त करावे।

प्रकरण में प्रतिवादी मोहनलाल विश्नोई द्वारा उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर जुर्म/गलती स्वीकार कर ली जाने से प्रकरण में दोनों पक्षों की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोंद कुमार शर्मा ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने अमानक खाद्य पदार्थ दूध का विक्रय किया है, इसलिये प्रतिवादी पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोंद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 02.11.2020 को समय 3.15 पी.एम. पर फर्म गुरुकृपा दूध डेयरी, मनादर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता के हैसियत से प्रतिवादी मोहनलाल विश्नोई पुत्र थाकाराम विश्नोई, जाति– विश्नोई, निवासी– सारी की ढाणी, मांडावास, पोस्ट रोहट, जिला– पाली उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा डेयरी के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए डेयरी के डिप फ्रिज में बिक्री हेतु मौजूद मिक्स्ड मिल्क लगभग 40 लीटर को अच्छी तरह मिलाकर एकरुप किया व इस एकरुप किये हुये मिक्स्ड मिल्क में से 2 लीटर मिक्स्ड मिल्क को एक साफ सूखे खाली भिगोनें में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष नियमानुसार कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-1220 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./728/Act/2020/ 747 दिनांक 01.12.2020 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि फर्म गुरुकृपा डेयरी, मनादर में खाद्य कारोबाकर्ता एवं मालिक प्रतिवादी मोहनलाल विश्नोई ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। ......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:52 IST
Reason: SelfAttested

मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>F.S.S.Act Case No.20/2021 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत मोहनलाल विश्नोई पुत्र थाकाराम विश्नोई, जाति– विश्नोई, निवासी– सारी की ढाणी, मांडावास, पोस्ट– रोहट, जिला– पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म गुरुकृपा दूध डेयरी, मनादर, तहसील शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 8,000/– (अक्षरे रुपये आठ हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी मोहनलाल विश्नोई को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। माफिक निर्णय प्रतिवादी मोहनलाल विश्नोई पुत्र थाकाराम विश्नोई, जाति– विश्नोई, निवासी– सारी की ढाणी, मांडावास, पोस्ट– रोहट, जिला– पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म गुरु कृपा दूध डेयरी, मनादर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही ने उस पर आरोपित जुर्माना राशि रुपये 8,000/– (अक्षरे रुपये आठ हजार मात्र) का भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सिरोही द्वारा जारी बैकर्स चैक नंबर 214930 दिनांक 02.3.2021 का इस न्यायालय में जमा करवाया। अतः इस डी.डी. की राशि जरिये चालान राजकोष में संबंधित मद में जमा करवाई जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।<br><br>2/3/2021<br>(गितेश श्री मालवीया)<br>**अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट**<br>**सिरोही** | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:52 IST
Reason: SelfAttested